समाहरणालय, कटिहार

कँवल तनुज, भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी, कटिहार

गोपनीय प्रशाखा

:- 06452-230581(O)
06452-230583(R)
:- +91-9473191375
फैक्स :- 06452-230880
E-mail :- dm-katihar.bih@nic.in

–: आ दे श :–

COVID-19 (Corona Virus) के बढ़ते प्रभाव के आलोक में तत्काल संभावित संक्रमण के विस्तार को सीमित रखने एवं संक्रमित मरीजों को आवश्यक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 865 दिनांक 23.03.2020 द्वारा विभिन्न कोषांगो का गठन करते हुए पदाधिकारियों व कर्मियों की प्रतिनियुक्ति व दायित्व निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में एक अन्य कोषांग का गठन निम्नानुसार किया जाता है:–

आवश्यक वस्तु कोषांग

आवश्यक वस्तु कोषांग के कार्य सम्पादन हेतु पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति निम्नानुसार की जाती है:–

क्र०	कोषांग के वरीय प्रभारी का नाम एवं पदनाम	कोषांग के नोडल पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	कोषांग के अन्य पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम	कोषांग से सम्बद्ध लिपिक का नाम एवं पदनाम
1	अपर समाहर्त्ता, कटिहार	श्री प्रमोद कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कटिहार	1. अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार/मनिहारी/बारसोई। 2. सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कटिहार जिला 3. सभी अंचलाधिकारी, कटिहार जिला	जिला आपूर्ति कार्यालय, कटिहार के सभी लिपिक व परिचारी

आवश्यक वस्तु कोषांग का कार्यालय– जिला आपूर्ति कार्यालय, कटिहार।

आवश्यक वस्तु कोषांग का दायित्व–

1. जिला में स्थानीय थोक विक्रेताओं/व्यापारिक संघ के पदाधिकारियों, ई०–कॉमर्स के प्रतिनिधि, ऑनलाईन डिलेवरी करने वाले कम्पनी के पदाधिकारियों के साथ बैठक पर खाद्यान्न, खाद्य तेल, दाल, चीनी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे।
2. ई०–कामर्स के माध्यम से ऑनलाईन आर्डर के उपरांत डिलेवरी करने वाले कर्मचारियों को भी आवश्यक वस्तु/अन्य सामान डिलेवरी करने के पूर्व Proper Hygiene and Sanitation को बनाये रखने हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आवश्यक निदेश दिया गया है। इस संबंध में सभी संबंधितों के साथ बैठक आयोजित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
3. आवश्यक वस्तुओं यथा– गेहूँ और गेहूँ उत्पाद, चावल, चना, आटा (गेहूँ, चावल एवं चना का) मकई, दलहन, दाल, नमक, गुड़, चीनी सभी प्रकार के खाद्य तेल एवं वनस्पति, बेबी फूड, सोडा ऐश आदि के थोक/खुदरा विक्रेताओं द्वारा भंडार में उपलब्धता (खुदरा विक्रेताओं के लिए 'हाँ' या 'नहीं' में) तथा इसके मूल्य का प्रदर्शन किया जाना है ताकि जनता को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी होने के साथ–साथ मूल्य की भी जानकारी हो। तत्संबंधी अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
4. उपर्युक्त के संबंध में "Bihar Essential Article (Display of Prices and Stocks) order, 1977 (Re-published in 1986)" के अन्तर्गत नियमानुकूल कारवाई करने हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 1457 दिनांक 23.03.2020 द्वारा निदेश निर्गत है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
5. भारत सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में 25 आवश्यक वस्तुओं (चावल, गेहूँ, गेहूँ का आटा, चना दाल, तुर/अरहर दाल, उड़द दाल, मुंग दाल, मसूर दाल, चीनी दूध, ग्राउंड नट ऑयल, सरसों तेल, वनस्पति तेल, सोया तेल, सूर्यमुखी तेल, पाम ऑयल, गुड़, चाय, नमक,

आलु, टमाटर, मास्क, सेनेटाइजर एवं हैंडवाश) का दैनिक बाजार भाव के मूल्य का अनुश्रवण प्रत्येक दिन किया जाना है। विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं का दैनिक बाजार भाव का अनुश्रवण करते हुए विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के साथ ही अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

6. जिला में एल०पी०जी०/पेट्रोल/डीजल को निर्धारित दर एवं मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु जिला के आई०ओ०सी०एल०, एच०पी०सी०एल० एवं बी०पी०सी०एल० के पदाधिकारियों के साथ बैठकर एल०पी०जी० गैस सिलेन्डर उपभोक्ताओं के घर में ले जाने के पूर्व डिलेवरी ब्यॉय एवं उनके वाहन को Proper Hygiene and Sanitation को बनाये रखते हुए उपभोक्ताओं को दिये जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करायी जायेगी।
7. पेट्रोल पम्पों पर भी Proper Hygiene and Sanitation को बनाये रखते हेतु आवश्यक निदेश दिये जाये। पेट्रोल पम्प पर आनेवाले उपभोक्ताओं तथा नोट लेने वाले कर्मचारियों को भी हैंड सेनिटाइजर एवं मास्क का प्रयोग करने हेतु निदेशि करेंगे।
8. पी०डी०एस० दुकानदारों को निदेशित करेंगे कि एक ही समय अत्यधिक संख्या में उनकी दुकानों पर उपभोक्ताओं का जमावड़ा न हो। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के मध्य एक मीटर की दूरी संधारित रखते हुए खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे।
9. पी०डी०एस० दुकानदारों को प्रेरित करेंगे कि हैंडवाश की व्यवस्था अपनी दुकानों पर करते हुए उपभोक्ताओं को तद्नुसार प्रेरित करेंगे।
10. कोषांग के कार्यों से संबंधित राज्य सरकार के समय–समय पर निर्गत विभिन्न निदेशों से सतत् रूप से अवगत रहते हुए तद्नुसार अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त कोषांग तत्काल प्रभाव से अपना कार्य प्रारंभ करेगा। कोषांग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी व नोडल पदाधिकारी अपने स्तर से कोषांग के कार्यों की तत्काल समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा आवंटित कार्यों के ससमय सम्पादन हेतु काय योजना तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अविलम्ब उपलब्ध करायेंगे तथा ऐसी कार्य योजना में विभिन्न घटकों/लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समय–सीमा अवश्य निर्धारित करेंगे।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी कोषांगों के साथ हीं उपरोक्त कोषांग के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक भी दैनिक रूप से की जायेगी।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक(   )– 873 /सी०, कटिहार,   दिनांक 24/03/2020 ई०।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– कोषांग के वरीय/नोडल/सहायतार्थ पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारियों/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों/थानाध्यक्षों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों/अंचल अधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, कटिहार को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से संसूचित सुनिश्चित करें।

24/3
जिला पदाधिकारी,
कटिहार।